(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री मीर इकबाल हुसैन की अध्यक्षता में जांच आयोग नियुक्त किये जाने के बाद ही, केन्द्रीय सरकार को सूचित किया गया था ।

Extortion from released prisoners by Delhi Police

466. SHRI MAHI LAL:
SHRI SHEO SAMPAT:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be leased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the news item appearing in the *'Times of India'* dated the 26th April, 1977 regarding large scale extortion by Delhi Police from the released prisoners during the emergency;

(b) if so, the action taken or being taken against the Police Officials who were causing unprecedented harassment to the public; and

(c) whether the Chief of the Anti-Corruption prepared a report regarding the raids conducted, if so, the main features thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH): (a) and (b). Government have seen the relevant news item. The allegations contained therein are being looked into.

(c) In a letter addressed to the Delhi Administration, the Supdt. of Police, Anti-Corruption, Delhi Admn. had mentioned about the complaints received by his branch regarding illegal arrest and detention of persons released from the Central Jail. Two specific cases were also mentioned in his letter. The matter is being looked into by the Vigilance Branch of Delhi Police.

आपात स्थिति के दौरान सेवा निवृत्त किये गये सरकारी कर्मचारियों की बहाली

467. श्री ईश्वर चौधरी :
श्री नवाब सिंह चौहान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान कुछ सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती सेवा निवृत कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों ने सेवा में पुन: लिये जाने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह): (क) तथा (ख). अनुमानत: प्रश्न का संदर्भ समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति से है, यदि ऐसा है तो आपात काल के दौरान 5477 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समय से पूर्व सेवा निवृत्त किए गए थे ।

(ग) सेवा में बहाल किए जाने के लिए, इनमें से कुछ कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(घ) समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति के विरुद्ध अभ्यावेदनों पर, उनके लिए निर्धारित कार्य विधि के अनुसार विचार किया जा रहा है ।